न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 52/2020 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री सज्जन सिंह चारण पिता रामनाथ सिंह चारण निवासी पोस्ट पारोली वाया पण्डेर तहसील कोटडी **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 18-9-.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी के विरूद्ध दिनांक 03.09.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 46 एफ 875658 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 07.07.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 11.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी से इस प्रकरण के संबंध में कोई प्रत्युत्तर /रिपोर्ट प्राप्त नही हुआ है।

अतएव अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी को आदेशित किया जाता हैं कि निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार बिन्दुवाईज सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करावे।

आदेश आज दिनांक 18-9-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा